भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण
(पोत परिवहन मंत्रालय, भारत सरकार)
मुख्यालय : ए–13, सैक्टर–1, नौएडा–201 301, (उ० प्र०)
INLAND WATERWAYS AUTHORITY OF INDIA
(Ministry of Shipping, Govt. of India)
Head Office : A-13, Sector-1, Noida-201 301 (U.P.)
Website : www.iwai.gov.in | www.iwai.nic.in
Tel. : +91-120-2544036, 2543972, 2527667, 2448101 Fax : +91-120-2544009, 2544041, 2543973, 2521764

सं.– भा.अ.ज.प्रा.–29 / 1 / 2021–हिन्दी

दिनांक 23.09.2021

परिपत्र

Sub.: Inviting entries under "Award Scheme for the books written originally in Hindi and translated into Hindi from other languages on the subjects relating to Indian Ports, Shipping and Inland Water Transport: Year 2019-20" – reg.

प्राधिकरण के मुख्यालय में पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय से उपर्युक्त विषयक कार्यालय ज्ञापन सं. E-11011/1/2018-Hindi, दिनांक 20.07.2021 **(संलग्न)** प्राप्त हुआ था। जिसे अधोहस्ताक्षरी ने दिनांक 23.07.2021 को परिपत्र प्राधिकरण के मुख्यालय तथा क्षेत्रीय / उप कार्यालयों में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित किया था।

उपर्युक्त विषय में पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय से दिनांक 21.09.2021 के कार्यालय ज्ञापन फा.सं. ई–11011 / 1 / 2018–हिंदी की प्रति आपको सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु **संलग्न** की जा रही है।

संलग्न कार्यालय ज्ञापन में यह उल्लेख किया गया है कि पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय की वर्ष 2019–20 की उपरोक्त योजना के अंतर्गत और अधिक संख्या में प्रविष्टियों को प्राप्त करने के प्रयोजन से प्रविष्टियां मंगवाने की अंति तिथि को दिनांक 15.09.2021 से बढ़ाकर अब दिनांक 30.10.2021 कर दिया गया है। योजना की शेष सभी शर्तें एवं प्रविष्टियां भेजने का पता आदि पूर्ववत रहेंगे।

यह परिपत्र सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

23/09/2021

(अरविन्द कुमार)
हिन्दी अधिकारी

संलग्न–यथोक्त।

सेवा में
भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, नौएडा व प्राधिकरण के सभी क्षेत्रीय / उप कार्यालय **(ई–मेल द्वारा)**

प्रतिलिपि : (ई–मेल द्वारा)

1- अध्यक्ष, भा.अ.ज.प्रा., नौएडा के प्रधान निजी सचिव
2- उपाध्यक्ष, भा.अ.ज.प्रा., नौएडा की निजी सचिव
3- सदस्य (वित्त), भा.अ.ज.प्रा., नौएडा की व. निजी सहायक
4- सदस्य (तकनीकी), भा.अ.ज.प्रा., नौएडा की निजी सहायक
5- सदस्य (यातायात एवं प्रचालन), भा.अ.ज.प्रा., नौएडा की निजी सहायक
6- सचिव, भा.अ.ज.प्रा., नौएडा के निजी सहायक
7- जलीय मुख्य, भा.अ.ज.प्रा., नौएडा
8- श्री ए. सेल्वाकुमार, निदेशक (जलीय एवं सतर्कता), भा.अ.ज.प्रा., नौएडा
9- श्री नीरज सिंह, सहायक सचिव (प्रशा. एवं स्था.), भा.अ.ज.प्रा., नौएडा
10- श्री अजय कुमार, सहायक सचिव (विधि एवं हिन्दी), भा.अ.ज.प्रा., नौएडा
11- श्री ए.के. पाढी, पी.सी.एस.ए – इस अनुरोध के साथ कि परिपत्र को कृपया प्राधिकरण के वेबसाइट में अपलोड करवाने का कष्ट करें।
12- कार्यालय प्रति / मास्टर प्रति
13- नोटिस बोर्ड

फा.सं. ई-11011/1/2018-हिंदी

भारत सरकार

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

परिवहन भवन, 1, संसद मार्ग,

नई दिल्ली, दिनांक 21 सितंबर, 2021

कार्यालय ज्ञापन

विषय: 'भारतीय पत्तनों, नौवहन और अंतर्देशीय जल परिवहन संबंधी विषयों पर हिंदी में लिखी गई मौलिक पुस्तकों और अन्य भाषाओं से हिंदी में अनूदित पुस्तकों के लिए पुरस्कार योजना : वर्ष 2019-20 की अंतिम तारीख को बढ़ाने संबंधी।

संदर्भ: उपरोक्त विषय पर मंत्रालय का दिनांक 20 जुलाई, 2021 को जारी समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन (संलग्न)।

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय की वर्ष 2019-20 की उपरोक्त योजना के अंतर्गत और अधिक संख्या में प्रविष्टियों को प्राप्त करने के उद्देश्य से प्रविष्टियां मंगाने की अंतिम तिथि को 15 सितंबर, 2021 से बढ़ाकर अब 30 अक्तूबर, 2021 किया जाता है। योजना की शेष सभी शर्तें एवं प्रविष्टियां भेजने का पता आदि पूर्ववत रहेंगे।

2. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

संलग्न: उपर्युक्त के अनुसार।

अजयसिरोही

(अजय पाल सिंह सिरोही)

संयुक्त निदेशक

दूरभाष: 011-23350647

ई-मेल : ajay.sirohi@nic.in

सेवा में,

1. पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के सभी अधिकारी / अनुभाग ।
2. पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के नियंत्रणाधीन सभी कार्यालयों से अनुरोध है कि इस योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के लिए इसे अपने तथा अपने अधीनस्थ कार्यालयों की वेबसाइट में अपलोड करवाने की व्यवस्था करें।

3. राष्ट्रपति सचिवालय, उप राष्ट्रपति सचिवालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, नीति आयोग, भारतीय निर्वाचन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग और केंद्र सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग

4. तकनीकी निदेशक, एन आई सी, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय से अनुरोध है कि इस योजना को मंत्रालय की वेबसाइट के होम पेज पर अपलोड कर दें तथा इसे 30 अक्तूबर, 2021 तक रखा जाए।

21/IWAI-Hindi

भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण
(पोत परिवहन मंत्रालय, भारत सरकार)
मुख्यालय : ए–13, सैक्टर–1, नौएडा–201 301, (उ॰ प्र॰)
INLAND WATERWAYS AUTHORITY OF INDIA
(Ministry of Shipping, Govt. of India)
Head Office : A-13, Sector-1, Noida-201 301 (U.P.)
Website : www.iwai.gov.in | www.iwai.nic.in
Tel. : +91-120-2544036, 2543972, 2527667, 2448101 Fax : +91-120-2544009, 2544041, 2543973, 2521764

सं.– भा.अ.ज.प्रा.–29 / 1 / 2021–हिन्दी

दिनांक 23.07.2021

परिपत्र

Sub.: Inviting entries under "Award Scheme for the books written originally in Hindi and translated into Hindi from other languages on the subjects relating to Indian Ports, Shipping and Inland Water Transport: Year 2019-20" – reg.

प्राधिकरण के मुख्यालय में पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय से उपर्युक्त विषयक कार्यालय ज्ञापन सं. E-11011/1/2018-Hindi, दिनांक 20.07.2021 **(संलग्न)** प्राप्त हुआ है। यह कार्यालय ज्ञापन सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से कृपया सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

23/07/2021

(अरविन्द कुमार)
हिन्दी अधिकारी

संलग्न–यथोक्त।

सेवा में

भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, नौएडा व प्राधिकरण के सभी क्षेत्रीय / उप कार्यालय **(ई–मेल द्वारा)**

प्रतिलिपि : (ई–मेल द्वारा)

1. अध्यक्ष, भा.अ.ज.प्रा., नौएडा के प्रधान निजी सचिव
2. उपाध्यक्ष, भा.अ.ज.प्रा., नौएडा की निजी सचिव
3. सदस्य (वित्त), भा.अ.ज.प्रा., नौएडा की व. निजी सहायक
4. सदस्य (तकनीकी), भा.अ.ज.प्रा., नौएडा की निजी सहायक
5. सदस्य (यातायात एवं प्रचालन), भा.अ.ज.प्रा., नौएडा की निजी सहायक
6. सचिव, भा.अ.ज.प्रा., नौएडा के निजी सहायक
7. जलीय मुख्य, भा.अ.ज.प्रा., नौएडा
8. श्री ए. सेल्वाकुमार, निदेशक (जलीय एवं सतर्कता), भा.अ.ज.प्रा., नौएडा
9. श्री नीरज सिंह, सहायक सचिव (प्रशा. एवं स्था.), भा.अ.ज.प्रा., नौएडा
10. श्री अजय कुमार, सहायक सचिव (विधि एवं हिन्दी), भा.अ.ज.प्रा., नौएडा
11. श्री ए.के. पाढी, पी.सी.एस.ए – सूचना एवं संबंधित आवश्यक कार्रवाई हेतु
12. कार्यालय प्रति / मास्टर प्रति
13. नोटिस बोर्ड

F.No.E-11011/1/2018-Hindi
Government of India
Ministry of Ports, Shipping and Waterways

Transport Bhawan, 1, Parliament Street,
New Delhi
Dated: 20 July, 2021

OFFICE MEMORANDUM

Sub: Inviting entries under "Award Scheme for the books written originally in Hindi and translated into Hindi from other languages on the subjects relating to Indian ports, Shipping and Inland Water Transport: Year 2019-20"

Ministry of Ports, Shipping and Waterways, Government of India is running an Award Scheme with an objective of promoting writing of books in Hindi and translation of books from other languages into Hindi on subjects related to Indian Ports, Shipping and Inland Water Transport. This Scheme is known as **"Award Scheme for the books written originally in Hindi and translated into Hindi from other languages on the subjects relating to Indian ports, Shipping and Inland Water Transport."** Under this scheme, applications are invited in the following two categories for the year 2019-20:-

(a) For books written originally in Hindi on subjects relating to Indian Ports, Shipping and Inland Water Transport; and
(b) For books translated into Hindi from other languages on subjects relating to Indian Ports, Shipping and Inland Water Transport.

2. **Awards**
Following awards will be given under this Scheme for both categories:-

Category	First Prize	Second Prize	Third Prize
1. Amount of cash award for the books written originally in Hindi	Rs. 1,00,000/-	Rs. 70,000/-	Rs. 50,000/-
2. Amount of cash award for the books translated into Hindi from other languages	Rs. 50,000/-	Rs. 40,000/-	Rs. 30,000/-

3. **Eligibility**
All Indian citizens can participate in this Scheme.

4. **Duration of the Scheme**
Books published during last five financial years from 2015-16 to 2019-20 (i.e. from 01-04-2015 to 31-03-2020) will be accepted under the Scheme. Only printed books will be accepted under this scheme.

5. **General conditions**

(i) Book should contain minimum 100 pages.

(ii) The book should be an analytical review on the subject it deals with. Books written in the form of thesis of Ph.D, Poem, Novel, Story, Play, etc. or textbooks shall not be eligible.

(iii) The books once awarded a prize under any other Scheme run by the Govt. of India or a State Govt. or Administration of U.T. shall not be accepted under this Scheme.

(iv) The book submitted earlier under this Scheme will not be accepted again.

(v) The author shall be responsible for the facts and data given in the book and must give references wherever is possible as a proof.

6. Evaluation process of the books:-

(i) The entries (books) received under this scheme will be evaluated by an Evaluation Committee of experts constituted by Ministry of Ports, Shipping and Waterways.

(ii) The awards will be decided by the Evaluation Committee and Award Committee constituted by the Ministry.

(iii) If during any year, a book is not found suitable for the award, the Award Committee may decide to withhold the award or to award a suitable amount as a consolation prize.

(iv) Regarding the awards, the decision of the Award Committee will be final.

7. Declaration of awards and prize distribution:-

(i) Awardees will be informed about the awards by mail and this information will also be uploaded on the Ministry's website.

(ii) After the declaration of awards, winners will be awarded in a function/meeting of Hindi Consultative Committee organized by the Ministry of Ports, Shipping and Waterways.

(iii) Awardees coming from places other than the place fixed for distribution of awards will get 2nd A.C. rail fare for to and fro journey and daily allowance for stay as per rules of the Govt. of India. Arrangement for lodging to be done at own expenses by the awardees.

8. General Information:-

(i) The author, whose book has been selected for award under this Scheme, will be entitled to retain the copyright on his/her book.

(ii) In case, a book selected for the award, has more than one author, award money shall be divided equally among them.

(iii) No correspondence will be entertained regarding the selection of books for awarding of prize(s) or the procedure regarding the selection of books for the award.

9. Procedure of sending the entries:-

(i) The entries should be sent along with duly filled entry form enclosed as **Annexure**.

(ii) Three copies of the book should be sent along with the entry form. The books sent under this scheme will not be returned.

(iii) Last date for receiving the entries under this scheme in the Ministry is 15th September, 2021. Entries received in the Ministry after the last date will not be accepted.

(iv) The details of the scheme and entry form are also available on our website <u>www.shipmin.gov.in</u>.

10. Address for sending the entries:-

The entry along with the duly filled entry form must reach at the following address on or before 15th September, 2021.

Economic Adviser (Ports/OL),
Ministry of Shipping,
Transport Bhawan,
1, Parliament Street,
New Delhi-110001

All offices under this Ministry and All Ministries/Departments of Government of India including Comptroller and Auditor General of India, NITI Ayog, Election Commission of India, UPSC are requested to give wide publicity to this Scheme. All the offices under the control of this Ministry are also requested to host this scheme on the home page of their respective websites till 15th September, 2021 for the public information and circulate this scheme in their subordinate offices, if any.

This is issued with the approval of the Competent Authority.

(Ajay Pal Singh Sirohi)
Jt. Director
Tel. 011-23350647
e-mail : ajay.sirohi@nic.in

To

1. All officers/Sections of the Ministry of Ports, Shipping and Waterways.
2. All offices under the control of Ministry of Ports, Shipping and Waterways are requested to publish this scheme in the forthcoming editions of their house journals, if any.
3. President's Secretariat, Vice President's Secretariat, Prime Minister's Office, Cabinet Secretariat, Comptroller and Auditor General of India, NITI Ayog, Election Commission of India, UPSC and All Ministries/Departments of Government of India.
4. NIC, Ministry of Ports, Shipping and Waterways is requested to upload this Scheme in the '***WHATS NEW***' section on the home page of the Ministry's website and display it upto 15th September, 2021.

ANNEXURE

ENTRY FORM

Award Scheme for the books written originally in Hindi and translated into Hindi from other languages on the subjects relating to Indian Ports, Shipping and Inland Water Transport:

Year-2019-20

1.	Title of the Book		
2.	Whether the book is Original or Translated		
3.	The subject dealt with in the book		
4.	Name of the author/authors		
	Full address		
	Telephone/Mobile No.		
	Email Address		
5.	Details of Publisher of the book 1. Name of the publisher		
	2. Full address of the publisher		
	3. Price of the book		
	4. Year of publication (along with month) :		
	5. Copyright holder		
6.	Whether the book was sent for any other competition earlier? If yes, please give full details i.e. :- 1. Year in which sent 2. To whom it was sent (full address) 3. Whether any award was given?		
7.	I/we hereby certify that:- 1. I/We am/are a citizen(s) of India. 2. The book has been written originally in Hindi by me/us. or The book has been translated into Hindi from other languages by me/us and for this necessary permission has been obtained from the author of the original book. 3. By entering of my/our book under this scheme, the copyright of any other person is not violated. 4. I/we have not written/translated the book in my/our official capacity/as a part of my/our official duties. 5. I/We shall be responsible for the facts and data given in the book. 6. This book was not sent under this scheme earlier.		

I/We undertake to abide by provisions of the Scheme.

Signature of the author(s)....................................

Place.............
Date..............

फा.सं. ई-11011/1/2018-हिन्दी

भारत सरकार

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

परिवहन भवन, 1, संसद मार्ग,

नई दिल्ली, दिनांकः 20 जुलाई,2021

कार्यालय ज्ञापन

विषयः **'भारतीय पत्तनों, नौवहन और अंतर्देशीय जल परिवहन संबंधी विषयों पर हिन्दी में लिखी गई मौलिक पुस्तकों और अन्य भाषाओं से हिन्दी में अनूदित पुस्तकों के लिए पुरस्कार योजनाः वर्ष 2019-20' के अंतर्गत प्रविष्टियों को आमंत्रित करना।**

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा भारतीय पत्तनों, नौवहन और अंतर्देशीय जल परिवहन संबधी विषयों पर मूल रूप से हिंदी में पुस्तक लेखन तथा इन्हीं विषयों पर अन्य भाषाओं में लिखी गई पुस्तकों के हिन्दी अनुवाद को प्रोत्साहित करने के लिए एक पुरस्कार योजना चलाई जा रही है। इस पुरस्कार योजना का नाम **'भारतीय पत्तनों, नौवहन और अंतर्देशीय जल परिवहन संबंधी विषयों पर हिन्दी में लिखी गई मौलिक पुस्तकों और अन्य भाषाओं से हिन्दी में अनूदित पुस्तकों के लिए पुरस्कार योजना'** है। इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2019-20 के लिए निम्नलिखित दो श्रेणियों में प्रविष्टियां आमंत्रित की जाती हैं:-

(क) भारतीय पत्तनों, नौवहन और अंतर्देशीय जल परिवहन संबंधी विषयों पर मूल रूप से हिंदी में लिखी गई पुस्तकों के लिए; तथा

(ख) भारतीय पत्तनों, नौवहन और अंतर्देशीय जल परिवहन संबंधी विषयों पर अन्य भाषाओं से हिंदी में अनुदित पुस्तकों के लिए।

2. **पुरस्कार**

इस योजना के अंतर्गत दोनों श्रेणियों के लिए निम्नानुसार पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे :-

श्रेणी	प्रथम पुरस्कार	द्वितीय पुरस्कार	तृतीय पुरस्कार
1. मूल रूप से हिंदी मे लिखी गई पुस्तकों के लिए नकद पुरस्कार राशि	1,00,000/- रुपए	70,000/- रुपए	50,000/-रुपए
2. अन्य भाषाओं से हिंदी में अनूदित पुस्तकों के लिए नकद पुरस्कार राशि	50,000/-रुपए	40,000/- रुपए	30,000/- रुपए

3. **पात्रता**

इस योजना में भारत के सभी नागरिक भाग ले सकते हैं।

4. **योजना अवधि**

इस योजना में विगत पांच वित्तीय वर्षों 2015-16 से 2019-20 (अर्थात 01-04-2015 से 31-03-2020 तक) के दौरान प्रकाशित पुस्तकें स्वीकार की जाएंगी। इस योजना के अंतर्गत केवल मुद्रित पुस्तकें ही स्वीकार्य होंगी।

5. सामान्य शर्तें

(i) पुस्तक कम से कम 100 पृष्ठों की होनी चाहिए।

(ii) पुस्तक, विषय के बारे में विश्लेषणात्मक समीक्षा होनी चाहिए, पीएचडी के लिए लिखे गए शोध, कविता, उपन्यास, कहानी, नाटक आदि के रूप में लिखी गई या पाठ्य पुस्तक के रूप में लिखी गई पुस्तकें पात्र नहीं होंगी।

(iii) जिस पुस्तक को भारत सरकार या राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्र की किसी योजना के अंतर्गत एक बार पुरस्कार दिया जा चुका हो, उसे इस योजना के अंतर्गत स्वीकार नहीं किया जाएगा।

(iv) इस योजना के अंतर्गत पहले भेजी गई पुस्तक को दोबारा स्वीकार नहीं किया जाएगा।

(v) लेखक पुस्तक में दिए गए आंकड़ों एवं तथ्यों के लिए स्वयं उत्तरदायी होंगे और उनके प्रमाण में जहां तक संभव हो, संदर्भ देंगे।

6. पुस्तकों की मूल्यांकन प्रक्रिया-

(i) इस योजना के तहत प्राप्त प्रविष्टियों (पुस्तकों) का मूल्यांकन पोत परिवहन मंत्रालय द्वारा गठित विशेषज्ञों की मूल्यांकन समिति द्वारा किया जाएगा।

(ii) पुरस्कारों का निर्णय मंत्रालय के द्वारा गठित मूल्यांकन और पुरस्कार समिति द्वारा किया जाएगा।

(iii) यदि किसी वर्ष के दौरान कोई पुस्तक पुरस्कार के लिए उपयुक्त नहीं पाई जाती है, तो पुरस्कार समिति पुरस्कार न देने अथवा प्रोत्साहन पुरस्कार के रूप में एक समुचित राशि प्रदान करने का निर्णय ले सकती है।

(iv) पुरस्कार प्रदान किये जाने के बारे में पुरस्कार समिति का निर्णय अंतिम होगा।

7. पुरस्कारों की घोषणा और पुरस्कार वितरण

(i) पुरस्कार के बारे में निर्णय की सूचना सभी पुरस्कार विजेताओं को पत्र द्वारा दी जायेगी तथा इसे मंत्रालय की वेबसाईट पर भी अपलोड किया जाएगा।

(ii) पुरस्कारों की घोषणा के उपरांत मंत्रालय द्वारा आयोजित समारोह/हिंदी सलाहकार समिति की बैठक में विजेताओं को पुरस्कृत किया जाएगा।

(iii) पुरस्कार वितरण के लिए नियत स्थान से बाहर से आए पुरस्कार विजेताओं को आने जाने के लिए रेल का द्वितीय श्रेणी वातानुकूलित का किराया तथा भारत सरकार के नियमों के अनुसार दैनिक भत्ता दिया जाएगा। ठहरने की व्यवस्था स्वयं अपने खर्च पर करनी होगी।

8. सामान्य सूचना :-

(i) जिस लेखक की पुस्तक को इस योजना में पुरस्कार के लिए चुना जाएगा, उसका अपनी पुस्तक पर कॉपीराइट बना रहेगा।

(ii) यदि पुरस्कार के लिए चुनी गई पुस्तक के एक से अधिक लेखक होंगे, तो पुरस्कार की राशि उनमें बराबर-बराबर बांट दी जाएगी।

(iii) पुरस्कार प्रदान किए जाने या पुरस्कार के लिए पुस्तकों के चयन की प्रक्रिया के बारे में कोई भी पत्र व्यवहार स्वीकार नहीं किया जाएगा।

9. प्रविष्टि भेजने की विधि

(i) प्रविष्टियाँ पूरी तरह से भरे हुए प्रविष्टि प्रपत्र (संलग्न) के साथ भेजी जाएँ।

(ii) प्रविष्टि प्रपत्र के साथ पुस्तक की तीन प्रतियां भेजी जाएं। इस योजना के अंतर्गत भेजी गई पुस्तकें वापिस नहीं की जाएंगी।

(iii) इस योजना के अंतर्गत मंत्रालय में प्रविष्टि प्राप्त होने की अंतिम तारीख 15 सितंबर, 2021 है। इस तारीख के बाद मंत्रालय में प्राप्त होने वाली प्रविष्टियां स्वीकार नहीं की जाएंगी।

(iv) इस योजना के बारे में सूचना और प्रविष्टि प्रपत्र हमारी वेबसाइट **www.shipmin.gov.in** पर भी उपलब्ध है।

10. प्रविष्टि भेजने का पता

पूरी तरह से भरे हुए प्रविष्टि प्रपत्र के साथ प्रविष्टि 15 सितंबर, 2021 या उससे पहले नीचे दिए गए पते पर प्राप्त हो जानी चाहिए :-

आर्थिक सलाहकार(पत्तन /राजभाषा),
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय,
परिवहन भवन,
1, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001

इस मंत्रालय के नियंत्रणाधीन सभी कार्यालयों तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, नीति आयोग, भारतीय निर्वाचन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग सहित भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि इस योजना का व्यापक प्रचार प्रसार करें। इस मंत्रालय के नियंत्रणाधीन कार्यालयों से भी अनुरोध है कि जनसाधारण की सूचना के लिए इस योजना को अपने-अपने कार्यालयों की वेबसाइट के होम पेज पर 15 सितंबर, 2021 तक रखें और इसे अपने-अपने अधीनस्थ कार्यालयों, यदि कोई हो, में भी परिचालित करवाएं।

इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

अजय सिरोही

(अजय पाल सिंह सिरोही)
संयुक्त निदेशक
दूरभाष: 011-23350647
ई-मेल : ajay.sirohi@nic.in

सेवा में,

1. पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के सभी अधिकारी / अनुभाग ।

2. पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के नियंत्रणाधीन सभी कार्यालयों से अनुरोध है कि इस योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के लिए इसे अपनी-अपनी गृह पत्रिकाओं, यदि कोई हो, के आगामी अंक में प्रकाशित करें।
3. राष्ट्रपति सचिवालय, उप राष्ट्रपति सचिवालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, नीति आयोग, भारतीय निर्वाचन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग और केन्द्र सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग
4. एन आई सी, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय से अनुरोध है कि इस योजना को मंत्रालय की वेबसाइट के ~~अंग्रेजी~~ हिंदी के ~~होम पेज~~ "नया विषय" पर अपलोड कर दें तथा इसे 15 सितंबर, 2021 तक रखा जाए।

अनुबंध

प्रविष्टि प्रपत्र

भारतीय पत्तनों, नौवहन और अंतर्देशीय जल परिवहन संबंधी विषयों पर हिंदी में लिखी गई मौलिक पुस्तकों और अन्य भाषाओं से हिंदी में अनूदित पुस्तकों के लिए पुरस्कार योजना: वर्ष 2019-20

1.	पुस्तक का शीर्षक		
2.	क्या पुस्तक मौलिक रूप से लिखी गई है अथवा अनूदित है?		
3.	पुस्तक का विषय क्या है		
4.	लेखक/लेखकों के नाम		
	पूरा पता		
	दूरभाष/मोबाईल नं.		
	ई-मेल पता		
5.	पुस्तक के प्रकाशक का ब्यौरा 1. प्रकाशक का नाम		
	2. प्रकाशक का पूरा पता		
	3. पुस्तक का मूल्य		
	4. प्रकाशन वर्ष (तिथि और माह सहित)		
	5. कॉपीराइट किसके अधीन है		
6.	क्या यह पुस्तक पहले किसी अन्य प्रतियोगिता में भेजी गई थी ? यदि हां, तो निम्नलिखित ब्यौरा दें :- 1. किस वर्ष भेजी गई		
	2. किस प्रतियोगिता में भेजी गई (पूरा पता)		
	3. क्या इसे कोई पुरस्कार प्रदान किया गया?		

7. मैं/हम एतदद्वारा प्रमाणित करते हैं कि :
   1. मैं /हम भारत के नागरिक हैं।
   2. मैंने /हमने यह पुस्तक मूल रूप से हिंदी में लिखी है। अथवा
      मैंने/हमने यह पुस्तक अन्य भाषा से हिंदी भाषा में अनूदित की है तथा इसके लिए मूल पुस्तक के लेखक से आवश्यक अनुमति प्राप्त कर ली गई है।
   3. इस योजना के अंतर्गत मेरी/हमारी पुस्तक के शामिल किए जाने से किसी अन्य व्यक्ति के कॉपीराइट का उल्लंघन नहीं होता है।
   4. मैंने / हमने यह पुस्तक अपनी शासकीय हैसियत / अपने शासकीय दायित्व के रूप में लिखी/अनूदित नहीं की है।
   5. इस पुस्तक में दिए गए तथ्यों और आंकड़ों के लिए मैं/हम जिम्मेदार होंगे।
   6. यह पुस्तक इस योजना में पहले नहीं भेजी गई है।

मैं/हम इस योजना के प्रावधानों / निबंधनों का पालन करने का वचन देता हूं/देते हैं।

लेखक/लेखकों के हस्ताक्षर ....

तिथि...............

स्थान.............